

2018/00233

प्रपत्र-5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बरेilly
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्रीपेन्द्र कुमार यादव R.A.S.

जाति कुलाराम फादरलाल उनवान शुभाराम वर्मा
विश्वनाथ उपरला बनाम शुभाराम वर्मा

दावा बाबत 88 RT Act

मुकदमा नम्बर - 147/18

निर्णय दिनांक - 15-6-18

वादी की ओर से कुलाराम की व प्रतिवादी की ओर से शुभाराम की
स्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-6-18 को शुभाराम (नाम पीठासीन अधिकारी).....
उपखण्ड अधिकारी बरेilly के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और
डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वाद आपसी सहमति ले कर फादरलाल का मौजा उपरला
के खेत ख.स. 367, 212, 325, 326, 346, 365, 390, 409 अर्थात्
के शाब्दिक रेकर्ड में वादी का नाम श्री कुलाराम फादरलाल की
जगह कुलाराम वलद फादरलाल फादरलाल फादरलाल
का नाम ही निर्णय का पालना हेतु प्रहरीलाल यादव
को अदेश दिया जाता है पत्नी केवल शुभाराम यादव को



अपना-अपना वहन करेंगे।

15-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(शुभाराम वर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर.....